न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 02/2016/अपील

छिगनलाल पुत्र तेजाराम, जाति गुर्जर, आयु 50 वर्ष, निवासी श्यामगढ़, तहसील व जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार, सीकर

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधि. श्री रामावतार शर्मा उपस्थित आये।

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 30.07.2014 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट द्वारा तहसीलदार, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

निर्णय दिनांक :13 नवम्बर, 2017

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि पटवारी हल्का ने धारा 91 के तहत एक झुठी व मनगढ़न्त रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। अपीलांट ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 495 के सीमा पर डण्डा निर्माण हेतु केवल मात्र पत्थर डलवाये थे। अपीलांट ने कोई सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया कि अपीलांट ने जो जवाब प्रस्तुत किया है उसकी पुष्टि में पुनः जांच रिपोर्ट ली गई। पुनः जांच रिपोर्ट लेने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब किया, इसका कोई उल्लेख ऑर्डर शीट दिनांक 23.07.2014 में नहीं है तथा ना ही पटवारी हल्का ने पुनः रिपोर्ट लेने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस या सूचना भिजवाई है। पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 के तहत प्रस्तुत झुठी व मनगढ़न्त के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय

तहसीलदार सीकर द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.07.2014 निरस्त फरमावें जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार सीकर ने अपनी आज्ञा दिनांक 30.07. 2014 द्वारा अपीलांट को खसरा नम्बर 495 रकबा 0.050 है. व खसरा नम्बर 490 रकबा 0.090 है. वाके ग्राम श्यामगढ़ से बेदखली की आज्ञा पारित की है व लगान की 50 गुणा पेनल्टी 49.00 रूपये आयद की है। अपीलांट ने कोई सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। अपीलांट ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 495 की सीमा पर बाउण्ड्री वाल निर्माण हेतु पत्थर डलवाये थे। जिसके आधार पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार को पेश की गई है। तहसीलदार सीकर ने अपने निर्णय में अंकित किया कि अपीलांट ने जो जवाब प्रस्तुत किया है उसकी पुष्टि में पुनः जांच रिपोर्ट ली गई है लेकिन पुनः जांच रिपोर्ट लेने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब किया, इसका कोई उल्लेख आर्डर शीट में नहीं है तथा ना ही पुनः रिपोर्ट लेने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस या सूचना भिजवाई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30. 07.2014 निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि अपीलांट द्वारा सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर पत्थर डालकर अतिक्रमण किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

6. हमने योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

   (1) अपीलांट द्वारा अपील लगभग 1 वर्ष 6 माह बाद प्रस्तुत की है। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र का परीक्षण मियाद के बिन्दु पर किया गया, अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के सलंग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं

शपथ पत्र पेश किया जाकर 22.11.2016 को प्रकरण की जानकारी होना अंकित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया है। अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर विलम्ब अवधि का शमन किया जाता है।

(2) पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 15.07.14 में खसरा नम्बर 495 रकबा 0.050 है. व खसरा नम्बर 490 रकबा 0.090 है. वाके ग्राम श्यामगढ़ **गैर मु. रास्ता** दर्ज है। जिस पर अपीलांट द्वारा बाड़ व पत्थर लगाकर अतिक्रमण करना अंकित है। अपीलांट ने तहसीलदार सीकर के नोटिस दिनांक 16.07.2014 का जवाब दिनांक 28.07.2014 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा भूमि की सीमा पर डण्डा निर्माण हेतु केवल मात्र पत्थर डलवाये गये हैं, जिन्हें यथाशीघ्र मौके से उठवा लेगा। इस पर दिनांक 25.7.2014 को पटवारी हल्का द्वारा पुनः मौके की जांच किये जाने पर खसरा नम्बर 490 गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण पाया गया। जिस पर तहसीलदार सीकर दिनांक 30.07.2014 द्वारा अतिचारी को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक : 13 नवम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official